हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 09 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 सितम्बर, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

सामान्य पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोकसेवकों की अविधिक पदोन्नति को तत्काल रोका जावे: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव एवं वित्त सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सामान्य पदों पर अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों की अविधिक पदोन्नति को तत्काल रोका जावे।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 01.05.2023 और दिनांक 21.05.2024 को संलग्न कर कहा है कि कृपया इन आदेशों का अवलोकन करें। इन स्थगन आदेशों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग राजस्थान द्वारा जारी उन आदेशों के क्रियान्वयन और प्रभाव को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के विपरीत मानते हुये, स्थगित किया है जिनमें यह कहा गया था कि अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों को उनकी मूल वरिष्ठता के आधार पर सामान्य पदों पर पदोन्नति दी जा सकती है।

कृपया राजस्थान सरकार की अधिसूचना/परिपत्र दिनांक 26.07.2017 का भी अवलोकन करें जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अनुपालना में ये निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि अजा/अजजा वर्ग के अभ्यर्थी/लोकसेवक द्वारा फीस के अलावा आरक्षण का कोई भी लाभ लिया गया है तो उसे सामान्य पद पर नियुक्ति/पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना/परिपत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरव प्रधान के प्रकरण में अनुमोदित भी किया जा चुका है। राज्य सरकार की ही अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों को रोस्टर पाइंट के अतिरिक्त पदोन्नति नहीं दी जावें।

बेहद दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त स्थगन आदेशों के बावजूद और राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 और दिनांक 26.07.2017 में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी सामान्य पदों पर अविधिक रूप से पदोन्नति दी जा रही है।

बेहद दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त स्थगन आदेशों के बावजूद और राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 और 26.07.2017 में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी राज्य के अजा/अजजा वर्ग के कुछ लोकसेवक अविधिक राजनैतिक प्रभावों का दुरूपयोग करके अथवा विभाग विशेष के उच्चाधिकारियों से मिलिभगत करके अथवा भ्रष्टाचारपूर्ण तरीकों से सामान्य पदों पर अविधिक रूप से पदोन्नति पाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं।

ऐसा ही एक प्रकरण वित विभाग में सहायक लेखाधिकारी से लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर प्रक्रियाधीन डीपीसी में हमारी जानकारी में लाया गया है। पुलिस विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, आदि में सात-आठ प्रकरणों में स्थगन आदेश पहले ही चल रहे है।

अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों द्वारा किये जा रहे ऐसे दुष्प्रयासों से सामान्य/ओबीसी वर्ग के अनगिनत निष्ठावान, कर्मठ लोकसेवकों को अनावश्यक लिटिगेशन में उलझना पड़ रहा है, हाई कोर्ट अथवा सिविल अपील प्राद्यीकरण में याचिकाऐं/अपील दाखिल करने में भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, समय और श्रम बर्बाद करना पड़ रहा है जिससे उनकी कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सामान्य लोक प्रशासन में जातिगत विद्वेष एवं भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।

ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक तथ्यों के आधार पर आपसे प्रार्थना है कि कृपया ऐसे सामान्य आदेश जारी करवायें कि अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों को:-

1. सामान्य पदों पर पदोन्नतियाँ नहीं दी जावें।
2. वित्त विभाग में सहायक लेखाधिकारी से लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी से वरिष्ठ लेखाधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रियाधीन डीपीसी में सामान्य पदों पर अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों की पदोन्नति पर तत्काल रोक लगाई जावे।
3. जहां भी सामान्य पदों पर अजा/अजजा के लोकसेवकों ने उपरोक्त अविधिक हथकण्डों से सामान्य पदों पर पदोन्नति पा ली है उन्हें तत्काल रिव्यू डीपीसी के जरिये पदावनत किया जाकर अधिक लिये गये वेतन-भत्तों की ब्याज सहित वसूली की जावें।

वंचित जातियों का वर्गीकरण करने हेतु सौपा ज्ञापन

आरक्षण के अभाव में वंचित वर्ग नहीं कर पा रहा विकास

भरतपुर- सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के उप वर्गीकरण के सम्बन्ध में दिए गए निर्णय के अनुसार आरक्षण से वंचित जातियों को वर्गीकरण करने के लिए व लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम महेश वाल्मीकि अध्यक्ष वंचित समाज संघर्ष समिति की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर नीरज मीना को ज्ञापन सौंपा। अभिजीत कुमार महापौर एवं दिलकेश पार्षद ने वर्गीकरण के लागू करने के लिए वाल्मीकि समाज एवं वंचित समाज का समर्थन किया है एवं ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच की ओर से एससी-एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण का निर्णय संविधान सम्मत है तथा इस ऐतिहासिक फैसले का आरक्षण के अंतिम पायदान पर खड़ा वंचित वर्ग आभार प्रकट करता है। आज भी वंचित जातियां जैसे वाल्मीकि, कंजर, सपेरा, धोबी, खटीक, सांसी, नट, कालबेलिया व अन्य वंचित वर्ग की जातियां आज भी आरक्षण के अभाव में अपना शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विकास नहीं कर पाई है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण के समय अनुसूचित जातियों का आरक्षण देने के संदर्भ में यह उद्देश्य था कि सामाजिक रूप से उत्पीड़ित उपजातियों का आरक्षण के लेकिन पिछले 78 वर्षों में यह देखने में आया है कि अनुसूचित जाति वर्ग में केवल कुछ ही जातियां आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रही है, लेकिन आरक्षण का लाभ अंतिम पंक्ति में उपस्थित जातियों तक आज 21 वी सदी बाद भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी पीड़ा को सर्वोच्च न्यायालय ने समझकर अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण का फैसला पारित किया है।

अध्यक्ष की कलम से

''प्रधानमंत्री को भारत का आभार''

साथियों,

प्रधानमंत्री को भारत का आभार बधाई, बधाई, बधाई। भारत के तेजस्वी. तपस्वी, मनस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को 74 वें जन्मदिवस के बाद 75 वें जीवन वर्ष में प्रवेश पर हमारी मन-प्राणों से बधाई और दीर्घजीवी होने की शुभकामनाएँ, मंगल भावनाएं।

मानव जीवन में उम्र का महत्व सदियों से रहा लेकिन जो महामानव होते हैं वे उम्र की सीमाओं को पार करके कालजयी बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंती। यह सच है कि इस पद पर पहुंचने वाले प्रत्येक नेता को मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन जिस तरह नरेन्द्र मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं तो लगता है देश सुरक्षित हाथों में है।

आज भारत देश यूक्रेन, इजराईल फिलिस्तीन, ताईवान आदि देशों में हिंसा जनित तनावों को कम करने के लिये जो भूमिका निभा रहा है उसकी प्रतिध्वनि को ब्रिटेन के ऋषि सुनक और अमेरिका की कमला हैरिस के रूप में स्पष्ट सुनाई दे रही है। यह शुभ और सुखद है।

हम भारतीयों ने विगत 75सालों में सूई से लेकर सौरमण्डल विजय तक जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उन्हें विश्वपटल पर सत्यापित और प्रतिस्थापित करने का काम नरेन्द्र मोदी के दो कार्यकालों ने किया है और संभावना है तीसरा कार्यकाल भारत को विकासशील देश की पंक्ति से उठाकर विकसित देशों के मंच पर स्थापित कर दे। इसलिए बधाई हो बधाई।

जय समता विजय समता

सम्पादकीय

''जात का कोई वाद नहीं होता ''

कई बार एकांत मे सोचते हैं तो वर्तमान काल पर हंसी आती है। हंसी का महत्व इतना बढ गया है कि सिर्फहंसी पर आधारित टीवी सीरियल्स सालों से चल रहे है। अनेक लोग मात्र चुटकले सुनाते हैं और लाखों, शायद करोड़ों रूपये कमा रहे है। इसे एक अलग टेक्नीकल नाम दिया गया है- स्टैंडिंग परफार्मर। कई बार लगता है पूरा जीवन चुटकुला बनता दिख रहा है। सब खिसिया रहे हैं लेकिन खुद को हंसता हुआ दिखाने का नाटक कर रहे है ?

चुटकुले की बात चली है तो चलो हम भी एक ऐसा चुटकुला बताते हैं जिसे समझना बहुत कठिन है। और जो समझ जाता है वो हंसता है और खूब ही हंसता है। चुटकुला इस प्रकार है- एक लोकतांत्रिक देश में सारी पार्टियॉ ''विकास'' शब्द की माला दिन रात जपती है। लेकिन जब चुनाव आते है तो एक झटके से जाति-जाति की माला फेरने लगती है- कुछ समझ आया तो हंस लीजिये नहीं आया हो तो सम्पादकीय में आगे बढिये।

भारत के 26 प्रदेशों/यूटी में कुल 58 पार्टियॉ दर्ज है इनमें से मात्र छ: राष्ट्रीय स्तर की पार्टियॉ है। इनके अलावा क्षेत्रीय दलों की बहुत बड़ी संख्या भी है। सभी दल चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र जारी करते है। लेकिन जब प्रत्याशियों के चयन की बात आती है तो वे जातीय समीकरणों में इतने व्यस्त हो जाते है कि चुनावी सभाओं में घोषणापत्र की घोषणाएं दोहराना तक भूल जाते है।

इस सबके लिए लेखक, पत्रकार, मीडियाकर्मी, नेता, मंत्री आदि-आदि बार-बार जातिवाद को कोसते है और जाति समीकरणों के आधार पर जीत तय करते है। पूरा का पूरा लोकतंत्र कथित जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा जाकर तिलमिला रहा है। जबकि सच ये है कि जात का कभी न कोई वाद रहा है और न ही हो सकता है। इसका मुख्य और बड़ा कारण ये है कि वाद हमेशा विचार का हुआ करता है। जैसे लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, गांधीवाद, छायावाद आदि-आदि। सनातन धर्म के चार वर्ण बेशक वैचारिक है और उसके लिए वर्णवाद का प्रयोग उचित है। लेकिन जात को कब किसने बनाया और आगे बढाया इसका कोई साफ और ठोस आधार किसी के पास नहीं है।

कम से कम आज और आजादी के 75 सालों बाद जब देश की आबादी 33 करोड़ से बढकर 145 करोड़ हो गई है और काम का बंटवारा जात नहीं संविधान के आधार पर आमूल चूल बदल चुका है। तब, जात के आधार पर पार्टियों का विधवा-प्रलाप सही नहीं है। लेकिन पार्टियॉ सत्ता के लालच में यदि कुछ याद रखने को तैयार नहीं है तो अब जनता के खड़े होने का समय आ गया है। जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

''कब तक चल पायेगा बिना न्याय का लोकतंत्र ?

एक फिल्म देखी थी- जॉली एल एल बी । न्याय व्यवस्था का सटीक चित्रण करती इस मूवी में बड़े- छोटे वकील का फर्क, बड़े वकील का छोटी अदालत को छोटा ही मानना, पुलिस की मनमानी और दरिंदगी तथा बार की नीति-कुनीति की रस्सी पर झूलता वकील आखिर अदालत के सामने सच को प्रमाणित कर देता है। यहाँ तक आम फिल्मी कहानी है। लेकिन सबसे अंत में टिप्पणी करते हुए जज कहते हैं- ''सालों बाद कोई एक केस ऐसा आता है जिस पर फैसला देते हुए अपनी कुर्सी पर बैठने का गर्व होता है। इसके बाद जज इससे भी बड़ी बात कहते हैं कि ऐसे फैसले के बल पर ही देश के करोड़ों लोग न्यायप्रणाली पर विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं- ''आई विल सी यू इन द कोर्ट''।

इस फिल्मी दृष्टांत के बाद 17 सितम्बर की राजस्थान पत्रिका के मुखपृष्ठ पर शैलेन्द्र अग्रवाल के विश्लेषणात्मक समाचार ने न्याय प्रणाली के प्रति जो एकांत विश्वास था उसे झझकोर कर रख दिया है। इस बड़े अखबार के बड़े समाचार का हैडिंग था मीलार्ड! फैसला तो कर दिया, पालना के लिये कहाँ जायें'' । इसे सिद्ध करने के लिये तथ्य दिया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लगभग एक लाख 50 हजार निर्णय अभी भी पालना का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मामलों में एक स्थाई प्रक्रिया है - अवमानना का केस । अकेले राजस्थान में 7068 अवमानना के केस लम्बित हैं ??

भारत में अब तक 50 सीजे आई रह चुके हैं। इनमें से ए एस आनंद 10 अक्टूबर 1998 से 11 जनवरी 2001 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। देश में के पहले पुरुषार्थी मुरख्य न्यायाधीश थे जिन्होने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि देश में तीन करोड़ मुकदमें लम्बित हैं। बहुत संकोच के साथ विकास के नाम पर समानान्तर खराब टिप्पणी करनी पड़ रही है कि लम्बित मुकदमो की संरख्या बढ़कर पाँच करोड़ हो गई है।

अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या तीन करोड़ हो या पाँच करोड़। इसका दुखद पहलू तो ये है कि इनमें से सम्भवत: एक करोड़ मुकदमें तो ऐसे भी बताये जाते हैं जिनकी अभी तक सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। और ऐसे अधिकांश मुकदमों के कैदी जिस धारा में कैद है उसकी निर्धारित अवधि अधिक समय वे बिना सुनवाई के जेल में हैं। इनमें झूठे मुकदमो की संख्या शामिल नहीं है। इस का सबसे मयावह और दर्दनाक उदाहरण विष्णु तिवारी (उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद) का है जो एट्रोसिटी एक्ट में पूरे बीस साल जेल में बंद रहे और हाईकोर्ट ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।

अदालतों में लम्बित मुकदमों की संख्या तीन करोड़ हो या पाँच करोड़। इसका दुखद पहलू तो ये है कि इनमें से सम्भवत: एक करोड़ मुकदमें तो ऐसे भी बताये जाते हैं जिनकी अभी तक सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। और ऐसे अधिकांश मुकदमों के कैदी जिस धारा में कैद है उसकी निर्धारित अवधि अधिक समय वे बिना सुनवाई के जेल में हैं। इनमें झूठे मुकदमो की संख्या शामिल नहीं है। इस का सबसे मयावह और दर्दनाक उदाहरण विष्णु तिवारी (उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद) का है जो एट्रोसिटी एक्ट में पूरे बीस साल जेल में बंद रहे और हाईकोर्ट ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।

इन हालातों में आरक्षण की संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे समता आन्दोलन का उदाहरण लिया जा सकता है जिसने विगत 17-18 सालों में जाति आरक्षण से सम्बंधित प्राय: प्रत्येक केस में जीत दर्ज की लेकिन उन जीते हुए निर्णयों को लागू करवाना लोहे के चने चबाना सिद्ध होता रहा है। इसके लिये समता आन्दोलन के दिवंगत संरक्षक डी जी पी रहे अमिताभ गुप्ता ने एक सम्मेलन में कहा था कि हमारे समय में यह स्थाई धारणा थी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है अब इसे लागू होना है। लेकिन वर्तमान में हालत ये है कि जातियों में बंटी अफसरशाही ऐसे कुत्सित तर्कों की तलाश करती है कि कैसे इस निर्णय को लागू नहीं किया जावे।

अफसरशाही को शेर की पीठ माना गया है। यदि उस पर बैठने वाली सरकार (मंत्री) सवासेर नहीं है तो यही नौकरशाही उसे पटक देती है। यहीं से शुरू होती है अवमानना की प्रक्रिया। जात के दंश से सन्निपात में जी रही पार्टियाँ और उनकी सरकारें नौकरशाही/अफसरशाही की बेलगाम चाल को नियंत्रित करने से डरते हैं। अब वास्तविक और तेजस्वी जननेता के स्थान पर बाहुबली और दबंग नेता सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। तब फिर अफसरशाही को कौन संभाले ।

अवमानना के बढ़ते केसों के लिये न्यायाधीशो की कम संख्या तो कारक है ही इससे बड़ा कारण है वो अफसरशाही जो अपने आका नेता के इशारों पर अदालतों की नखदंत विहीन मानने लगते हैं। अवमानना के 70 प्रतिशत मामलों में अफसरशाही ही शामिल पाई गई है। अधिकतर नौकरी और सेवा सम्बंधी मामलों में अवमानना केस है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें जनहित को लेकर अदालते जो निर्णय देती हैं उन्हें अफसरशाही नहीं मानकर लटकाने का काम करती है। अदालत के सख्त होने पर दोषी अफसर माफी मांगकर आसानी से बरी हो जाते हैं।

जहाँ तक बात न्यायाधीशों की संख्या को लेकर है तो ये कहा जा सकता है कि मात्र संवैधानिक रूप से न्यायाधीश और न्यायालय स्वतंत्र हैं। अन्यथा वेतन, नियुक्ति, स्थानान्तरण, प्रमोशन आदि-आदि दूसरे विषयों में वे सरकार और अफसरशाही से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। फिर भी यह तथ्य तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि न्यायाधीशों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में अपने आप बढ़नी चाहिये। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खम्भा कौन सा है ये तो स्पष्ट नहीं लेकिन चारों खम्भो सहित सम्पूर्ण जनतंत्र को बचाकर रखने की जिम्मेदादी अदालतों पर ही आती है। अत: अदालतों के ऊपर अफसर को मानना बंद करने के लिये अदालतों को अपनी विशेष शाक्तियों का प्रयोग करना चाहिये। जैसाकि हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने अफसरशाही के बुलडोजर कानून पर आर्टिकल 142 में प्रदत्तविशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए रोक (स्टे) लगाई है। लोकतंत्र ऐसे ही बच सकेगा।

- वाई एन शर्मा

पौराणिक कथन : ''ऋक्ष''

महाबली वानरराज शुक के पुत्र तथा प्रजापति से प्राप्त विरजा के पति। जाम्बवान की माता रक्षा इनकी बहन थी।

जो गौरव गरिमा को खोकर,
निस दिन खाते मन की ठोकर।
खुद की हंसी स्वयं उड़वाते-
सारे जातिवादी जोकर ।।

कविता

''अपना ही घट फोड़ रहे''

धर्म धुरंधर
गोपी चंदर
आंख बंद कर
दौड़ रहे हैं
कुल्हड़ में गुड़
फोड़ रहे हैं ।
सीख बड़ी दें
गलियारों को
महिमा मंडन
हत्यारे को
चोर उचक्के
बंधु भतीजे
उल्टे सीधे
सभी नतीजे
मन के सपने
तोड़ रहे हैं।।
काले जोगी
पीले भोगी
सारे मिलकर
दिखते रोगी
जात धर्म की
धत्त कर्म की
भूले पीड़ा
मनुज मर्म की
घर गरिमा का
छोड़ रहे हैं।।
सभी सिकंदर
मन से बंदर
हर चौराहे
खड़े कलंदर
कौन कहे अब
जाग मछंदर
अंध तिमिर पर
शंका मतकर
बाहर चोला
जाती अंदर
हाथ हथौड़ा
खूब संभाले
अपना ही घट
फोड़ रहे हैं।।

– रंजन सिंह रावत–

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

सरकार को संविधान के दोनों मौलिक सिद्धांतों पर साथ-साथ ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की कुशलता और सभी के लिए अवसर की समानता। न्यायमूर्ति ए.पी.सैन ने कहा कि ''संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं समानता की बात की गई है।'' सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त करते समय सरकार को सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अनुपयुक्त और पक्षपातपूर्ण प्रावधान से सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा।

अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत किया है-यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी समूह या वर्ग के लिए आरक्षण देश की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार करने का होता तो वे स्वयं ये शब्द जोड़ सकते हैं-'के अनुपात में'।

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है - से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जाति-आधारित आरक्षण पर आशंका प्रकट करते हुए लिखा था कि ''इससे एक ओर तो जातिप्रथा को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर, हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों को आरक्षण के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकेगा; जबकि उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं।''

संविधान के मूल प्रारूप के अनुच्छेद 10 - जो आरक्षण से सम्बन्धित था - के प्रावधान पर संविधान सभा में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने स्वयं आगाह किया था कि समानता का सिद्धांत या कानून कहीं इतना व्यापक न हो जाए कि वह पूरे सिद्धांत या कानून को ही निगल जाए।

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

''अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दिये जाने वाले समानता के मौलिक अधिकार का अपवाद है; और किसी मौलिक अधिकार के अपवाद को इतने व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि उससे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होने लगे।''

यह एक मूलभूत विषय है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। फिलहाल आइए देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में और बार-बार निम्नलिखित निर्देश दिए हैं - मलाईदार परत की पहचान की जानी चाहिए।

पहचान की यह प्रक्रिया और परिणामस्वरूप उसका बहिष्कार-सब कुछ यथार्थ होना चाहिए।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आय एवं अन्य कारकों का निरर्थकता की हद तक 'उच्च स्तर' प्रस्तुत करके उस शर्त का अपवंचन करने का प्रयास करने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि ''इन सरकारों ने मंडल मामले में बनाए गए कानून का पूरा-पूरा उल्लंघन किया है।''

इस मलाईदार परत की पहचान का कार्य उद्देश्यमूलक होना चाहिए। - इसमें विभिन्न मामलों में अग्रणी वर्ग की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। - इस प्रकार तैयार की गई सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। एक बार पिछड़ा तो हमेशा पिछड़ा-यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है।

ऐट्रोसिटी एक्ट पर सुप्रिम फैसला

प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने तक अग्रिम जमानत पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तब तक लागू नहीं होतीए जब तक कि आरोपी के खिलाफ अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध न हो जाए।

कोर्ट ने कहा-

''यदि शिकायत में संदर्भित सामग्री और शिकायत को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर अपराध के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं तो धारा 18 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा और अदालतों के लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना खुला होगा।''

कोर्ट ने इस बार प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों में अदालतों को आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने विधायक पीवी श्रीनिजिन के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आपराधिक मामले में मलयालम यूट्यूब न्यूज चैनल श्मरुनादन मलयालीश् के संपादक शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह बात कही।

स्कारिया ने जिला खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिजिन द्वारा खेल छात्रावास के कथित कुप्रबंधन के बारे में न्यूज प्रसारित की थी। न्यायालय ने केरल हाईकोर्ट द्वारा जून 2023 में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दियाए जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां कथित आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर अपलोड होने के कारण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, अदालतों को उन सामग्रियों की जांच करने का विवेकाधिकार होना चाहिए, जिन पर शिकायत दर्ज की गई।

न्यायालय ने कहा-

''हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस तरह के मामलों में अदालतों को शिकायत में किए गए कथनों की पुष्टि करने के अलावा उन सामग्रियों को देखने का विवेकाधिकार होना चाहिए, जिनके आधार पर शिकायत दर्ज की गई।''

अधिनियम की धारा 18 में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 438ए जो अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है, अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। धारा 18-ए में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मंजूरी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, संशोधन किसी भी अदालत के फैसले या निर्देश के बावजूद अधिनियम के तहत मामलों में सीआरपीसी की धारा 438 की अनुपयुक्तता पर फिर से जोर देता है। न्यायालय ने पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ के मामले में अपने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई शिकायत अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करती है तो धारा 18 और 18-ए (आई) द्वारा बनाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जिससे अदालतों को आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की अनुमति मिल जाएगी।

विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम, 1989 की धारा 18 सीआरपीसी की धारा 438 को लागू करने पर रोक लगाती है, लेकिन न्यायालयों को यह सत्यापित करना चाहिए कि अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 18 के तहत ''किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी'' की अभिव्यक्ति केवल उन मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है, जहां सीआर पीसी की धारा 60ए के साथ धारा 41 के तहत वैध गिरफ्तारी की जा सकती है।

न्यायालय ने कहा-

''यह कहा जा सकता है कि अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत रोक केवल उन मामलों पर लागू होगी, जहां अधिनियमए 1989 के तहत अपराध किए जाने की ओर इशारा करने वाली प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल तभी जब प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तब सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित गिरफ्तारी-पूर्व आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।''

न्यायालय ने कहा कि जब शिकायत या एफआईआर पढ़ने पर अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व स्पष्ट नहीं होते हैं तो प्रथम दृष्टया कोई मामला अस्तित्व में नहीं आता है।

न्यायालय ने कहा कि यदि शिकायत या एफआईआर में आरोपों को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व प्रकट नहीं होते हैं तो अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह एकमात्र ट्रायल हैस जिसे तब लागू किया जाना चाहिए जब कोई आरोपी अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत मांगता है।

न्यायालय ने कहा कि कोई आरोपी यह तर्क दे सकता है कि भले ही आरोपों में अधिनियम के तहत अपराध किए जाने का खुलासा होए लेकिन अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। इस आधार पर कि एफआईआर या शिकायत राजनीतिक या निजी प्रतिशोध के कारण स्पष्ट रूप से झूठी है। हालांकि, ऐसे दावों को केवल हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत संबोधित किया जा सकता है।

न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि यदि अपराध के लिए आवश्यक सभी तत्व शिकायत में मौजूद हैं तो आरोपी के लिए अग्रिम जमानत का उपाय उपलब्ध नहीं हो पाता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि किसी मामले के प्रथम दृष्टया अस्तित्व का निर्धारण करना न्यायालयों का कर्तव्य है।

न्यायालय ने कहा-

''मामले के प्रथम दृष्टया अस्तित्व का निर्धारण करने का कर्तव्य न्यायालयों पर डाला गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को अनावश्यक रूप से अपमानित न किया जाए। न्यायालयों को यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच करने से नहीं कतराना चाहिए कि शिकायत/एफआईआर में तथ्यों का वर्णन वास्तव में अधिनियमए 1989 के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक आवश्यक तत्वों का खुलासा करता है या नहीं।''

न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालयों की यह भूमिका तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब प्रथम दृष्टया निष्कर्ष अभियुक्त को अग्रिम जमानत मांगने से रोकता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन के साथ इसी तरह के मामले अधिक बार सामने आने की संभावना है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ता ने सार्वजनिक सभा में शिकायतकर्ता का अपमान किया हो या उसे अपमानित किया हो, जिसे स्थापित करने के लिए गवाहों के बयानों की आवश्यकता होगी। जिस आपत्तिजनक सामग्री पर शिकायत आधारित थी, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने के कारण पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी।

-न्यायालय ने कहा-

* यह कहा जा सकता है कि अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत रोक केवल उन मामलों पर लागू होगी, जहां अधिनियमए 1989 के तहत अपराध किए जाने की ओर इशारा करने वाली प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल तभी जब प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तब सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित गिरफ्तारी-पूर्व आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।''
* जब शिकायत या एफआईआर पढ़ने पर अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व स्पष्ट नहीं होते हैं तो प्रथम दृष्टया कोई मामला अस्तित्व में नहीं आता है।
* यदि शिकायत या एफआईआर में आरोपों को प्रथम दृष्टया पढ़ने पर अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व प्रकट नहीं होते हैं तो अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
* अधिनियम की धारा 18 के तहत ''किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी'' की अभिव्यक्ति केवल उन मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है, जहां सीआर पीसी की धारा 60, के साथ धारा 41 के तहत वैध गिरफ्तारी की जा सकती है।

पदोन्नति में आरक्षण, केंद्र सरकार की भर्तियों में आयु में मिले पांच साल की छूट

ईडब्ल्यूएस वर्ग के उत्थान को लेकर शहीद स्मारक पर धरना

जयपुर- ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच के तत्वावधान में रविवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। इस मौके पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के कार्मिकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र में पिता की आय हटाने सहित नौ मांगें वक्ताओं ने सरकार के समक्ष रखी। साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के उत्थान की भी मांग की। धरने के दौरान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व अन्य सामान्य वर्ग के सैकड़ों लोग जुटे।

मंच के संयोजक सुनील उदेईया ने कहा कि 2019 में केन्द्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिया, लेकिन पांच साल में एक भी संशोधन और सरलीकरण नहीं करने से इस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। केंद्र और राज्य सरकार को इनकी शिक्षा और विकास के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए। अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी ने कहा कि मांगों पर शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने को परशुराम सेना, सर्वशक्ति मित्र मंडल, कायस्थ कल्याणकारी सभा, अपराजिता फाउंडेशन व भारतीय हिंदू सेना सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के ओएसडी को ज्ञापन सौंपा।

- यह है प्रमुख मांगें -

ईडब्ल्यूएस वर्ग को केंद्र सरकार की भर्तियों में आयु सीमा में पांच साल की छूट। भूमि भवन की शर्त में शिथिलता देते हुए सरलीकरण किया जाये। यूपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में ओबीसी की तरह अटैम्प्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए। पंचायत और नगर निकाय चुनावों में अन्य आरक्षित वर्ग की तरह दस प्रतिशत सीटों पर आरक्षण। भर्तियों में खाली रही सीटों के लिये बैक लॉग सिस्टम लागू हो।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in